



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2023/90

दर्ज तिथि:-10.04.2023

1. वरींगा वल्द प्रहलाद  
जाति विश्णोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. आईदानराम वल्द बुदराराम
2. शंकरलाल वल्द बुदराराम
3. गजरो पत्नी बुदराराम
4. ओमप्रकाश वल्द सूजाराम
5. वाधू पत्नी सुजाराम
6. किशनाराम वल्द मिश्रीराम
7. खंगाराराम वल्द मिश्रीराम
8. सोटी पत्नी मिश्रीराम
9. भगवाना वल्द लिछमणा  
जाति विश्णोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

10. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा कृषि विकास बैंक गुडामालानी
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी एवं उपपंजीयक गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री चिमनसिंह चौधरी।

प्रतिवादी:- श्री रामजीवन विश्णोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-24.10.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद



पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 574/6/0.0567 है0, 941/574/0.9955 है0, 942/574/0.0728 है0, 943/574/3.1882 है0, 948/574/1.6919 है0 वाके ग्राम नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगो रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 हाजा न्यायालय में असालतन-वकालतन उपस्थित हुए एवं शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के अधिवक्ता द्वारा माफिक हक हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने की सहमति दी। जिस पर वकील वादी ने सहमति दिये जाने पर दिनांक 06.06.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2024/2093 दिनांक 24.09.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2024/2093 दिनांक 24.09.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 28.08.2024 को तहसीलदार गुडामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुडामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/808-818 दिनांक 08.08.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.08.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> <p>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुडामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/808-818 दिनांक 08.08.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.08.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
--	--

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 574/6/0.0567 है0, 941/574/0.9955 है0, 942/574/0.0728 है0, 943/574/3.1882 है0, 948/574/1.6919 है0 वाके ग्राम नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का

खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 574/6/0.0567 है0, 941/574/0.9955 है0, 942/574/0.0728 है0, 943/574/3.1882 है0, 948/574/1.6919 है0 वाके ग्राम नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
वरींगा पुत्र पेलाद हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा गुडामालानी	पूर्ण	574/6	0.0284	बा.सो.
		942/574	0.0364	बा.सो.
		948/574	0.8458	बा.सो.
		943/574	0.0902	बा.सो.
किता 04 रकबा 1.0008 हैक्टेयर				
आईदानराम पुत्र बुदराराम	1/3	574/6	0.0283	बा.सो.
शंकरलाल पुत्र बुदराराम	1/3	942/574	0.0364	बा.सो.
गजरो पत्नी बुदराराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	1/3	948/574	0.8458	बा.सो.
		943/574	0.0903	बा.सो.
किता 04 रकबा 1.0008 हैक्टेयर				

ओमप्रकाश पुत्र सूजाराम	1/16	941/574 943/574	0.9955 3.0077	बा.सो. बा.सो.
वाधू पत्नी सूजाराम	1/16			
किशनाराम पुत्र मिश्रीराम	1/8			
खंगाराराम पुत्र मिश्रीराम	1/8			
सोटी पत्नी मिश्रीराम	1/8			
भगवाना पुत्र लिछमणा जाति विश्नोई सा. देह खातेदार (भगवानाराम पुत्र लिछमणा का हिस्सा- राहिन एसबीआई शाखा गुडामालानी)	1/2			
किता 02 रकबा 4.0032 हैकटेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2023/90

दर्ज तिथि:-10.04.2023

- वरींगा वल्द प्रहलाद  
जाति विश्णोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

- आईदानराम वल्द बुदराराम
- शंकरलाल वल्द बुदराराम
- गजरो पत्नी बुदराराम
- ओमप्रकाश वल्द सूजाराम
- वाधू पत्नी सुजाराम
- किशनाराम वल्द मिश्रीराम
- खंगाराराम वल्द मिश्रीराम
- सोटी पत्नी मिश्रीराम
- भगवाना वल्द लिछमणा  
जाति विश्णोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

- शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा कृषि विकास बैंक गुडामालानी
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी एवं उपपंजीयक गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री चिमनसिंह चौधरी।

प्रतिवादी:- श्री रामजीवन विश्णोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत  
धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई

निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 574/6/0.0567 है0, 941/574/0.9955 है0, 942/574/0.0728 है0, 943/574/3.1882 है0, 948/574/1.6919 है0 वाके ग्राम नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
वरींगा पुत्र पेलाद हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा गुडामालानी	पूर्ण	574/6 942/574 948/574 943/574	0.0284 0.0364 0.8458 0.0902	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.
किता 04 रकबा 1.0008 हैक्टेयर				
आईदानराम पुत्र बुदराराम	1/3	574/6	0.0283	बा.सो.
शंकरलाल पुत्र बुदराराम	1/3	942/574	0.0364	बा.सो.
गजरो पत्नी बुदराराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	1/3	948/574 943/574	0.8458 0.0903	बा.सो. बा.सो.
किता 04 रकबा 1.0008 हैक्टेयर				
ओमप्रकाश पुत्र सूजाराम	1/16	941/574 943/574	0.9955 3.0077	बा.सो. बा.सो.
वाधू पत्नी सूजाराम	1/16			
किशनाराम पुत्र मिश्रीराम	1/8			
खंगाराराम पुत्र मिश्रीराम	1/8			
सोटी पत्नी मिश्रीराम	1/8			
भगवाना पुत्र लिछमणा जाति विश्नोई सा. देह खातेदार (भगवानाराम पुत्र लिछमणा का हिस्सा- राहिन एसबीआई शाखा गुडामालानी)	1/2			
किता 02 रकबा 4.0032 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर

